

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in ,

Phone/Fax no:-01368-222215

पत्रांक:- 1638 / 12-1 : दिनांक: पौड़ी, माह, नवम्बर, 14, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/45296/2020

विषय- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119/534 किमी0 196.00 से 276.00 सतपुली-श्रीनगर तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु 32.553 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत करना है कि प्रस्ताव में हुई त्रुटियों का निराकरण प्रस्तावक विभाग तथा इस वन प्रभाग द्वारा निम्न प्रकार से कर दिया गया है।

1	On perusal of the proposal it is found that there is no detail of the existing approval under FCA of the existing road. State Government is requested to provide the information in this regard in detail.	प्रस्तावक विभाग ने अपनी पत्र सं० 1364/5 सी०, दिनांक 01.10.2022 से अवगत कराया गया है कि विषयगत मोटर मार्ग सर्वे ऑफ इण्डिया के मानचित्र पर वर्ष 1965 से पूर्व की अंकित है जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण वन संरक्षण अधिनियम 1980 से पूर्व का है तथा इससे पूर्व के दस्तावेज इस खण्ड में संघारित नहीं है, जिसके फलस्वरूप भारत के राजपत्र को संलग्न किया जा रहा है जो यह दर्शाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग का स्वामित्व इस खण्ड की अधीन है। (संलग्नक-1)
2	It is also seen that in the proposal no detail of the existing width of black top area, carriageway and RoW is provided. State Government is requested to provide the detail of the same.	प्रस्तावक विभाग द्वारा black top area, carriageway and RoW से सम्बन्धित वांछित अभिलेख संलग्न किये गये हैं। (संलग्नक-2)
3	It is seen the existing RoW is not clearly recorded in the proposal. State Government is requested to provide information in this regard.	प्रस्तावक विभाग द्वारा ROW को डिजाईन प्लान में दर्शाया गया है, जिसका प्लान संलग्न है। (संलग्नक-3)
4	As per land schedule, additional RoW proposed in this proposal is mentioned as 18 m. State Government is requested to submit the drawing of the proposal showing existing, additionally required and total black top width of the road.	आपत्ति का निराकरण बिन्दु संख्या-3 में स्पष्ट रूप से किया गया है।
5	With reference to point no. 04, State Government is requested to justify the proposed width as per norms and order of MORTH.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयगत मोटर मार्ग की डिजाईन IRC 52 एवं SP 73 के अनुसार किया गया है जो कि MORTH की गाईड लाईन के अनुसार है। (संलग्नक-4)
6	State Government is requested to submit a comparative chart of the width i.e. black top area, carriageway and RoW taken in char dham strategic road, char dham non strategic road and of this proposal.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग चारधाम की पहुंच के लिये एक वैकल्पिक मार्ग है जो कि मेरठ-लैन्सडॉन एवं चाईना सीमा को जोड़ती है। इस हेतु TCS का डिजाईन strategic रोड के अनुसार किया गया है जिसे बिन्दु संख्या-2 में संलग्न किया गया है।
7	The location of muck disposal sites (which is entirely proposed in forest land) is not marked in the KML file and digital map of the area proposed for diversion. State Government may do the needful in this regard.	प्रस्तावक विभाग द्वारा मलवा निस्तारक स्थल के के०एम०एल० फाईल ऑन लाईन पार्ट-1 के पैरा C के (b) में तथा डिजिटल मैप पार्ट-1 के Additional information details में अपलोड कर दिया गया है।

8	As per DSS analysis, 6 ha area found in VDF and 43 ha in MDF proposed in reserve forest land and civil soyam land. State Government is requested to change the CA area found VDF/MDF in reserve forest area and as per Ministry's order dated 08.03.2017, a land having less than 0.4 density is required to be selected. Further, it is also requested to submit plantation scheme in lieu of VDF/MDF found in civil soyam land as per Ministry's order dated 08.03.2017.	भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्ति के कम में अवगत कराया गया है कि विषयगत मोटर मार्ग में 43.00 हैक्टेयर भूमि MDF एवं 6.00 हैक्टेयर भूमि VDF है जिसके कम में आप अन्यत्र भूमि चयन करें, प्रस्तावक विभाग ने अपनी पत्र सं० 1050/5सी०, दिनांक 06.08.2022 से इस कार्यालय को आरक्षित अवनत भूमि में क्षेत्र चयन करने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके कम में इस वन प्रभाग द्वारा आरक्षित अवनत वन भूमि में 32.553 के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 65.106 है० का चयन कर प्रस्तावक विभाग को लिखा गया था। प्रस्तावक विभाग द्वारा 65.106 है० क्षेत्र का सी०ए० मैप एवं के०एम०एल० फाईल तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित किया है। (संलग्नक-5)
9	Name and Shape of area proposed for CA given in KML file are different from that given in digital map. State Government is requested to provide the correct information in this regard and submit/upload the correct detail/maps/KML file.	इस वन प्रभाग द्वारा आरक्षित वन भूमि में 32.553 के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 65.106 है० का चयन कर प्रस्तावक विभाग को लिखा गया था। प्रस्तावक विभाग द्वारा 65.106 है० क्षेत्र का सी०ए० मैप एवं के०एम०एल० फाईल तैयार कर अग्रतत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की है, जो कि संलग्न 5 के अनुसार।
10	In KML file only 9 patches of CA area are uploaded but in digital map 11 sites are found selected. State Government may clarify.	बिन्दु सं० 10 के कम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में आरक्षित अवनत वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का चयन कर 10 पैचों में डिजिटल मैप एवं के०एम०एल० फाईल ऑन लाईन अपलोड कर दी गई है।
11	The area of 65 ha for raising CA is found selected in 9 or 11 patches is not acceptable which is also far away from each other. State Government is requested to explore big patches for the purpose.	बिन्दु सं० 9 एवं 10 के अनुसार।
12	Digital map and SoI toposheet uploaded at para 13 in part II are not signed by any authority. State Government may upload these maps duly countersigned by the concerned DFO.	बिन्दु सं० 12 के कम में अवगत करना है कि इस वन प्रभाग द्वारा पार्ट-11 के पैरा 13 में डिजिटल मानचित्र और SoI टोपोशीट में सभी के हस्ताक्षर कर प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से प्रतिहस्ताक्षरित कर ऑन लाईन अपलोड कर दिये गये हैं।
13	Some CA area selected in reserve forest land and some in revenue land but the complete detail of the CA area with names is not mentioned at para 13 and in CA scheme, which is required to be done.	बिन्दु सं० 13 के कम में अवगत करना है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण ऑन लाईन पार्ट-11 के पैरा 13 में बिन्दु सं० 12 के अनुसार ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
14	Details of non forest land not filled online in Part I which is also required. State Government is requested to upload the details of non forest land as well in online part I.	बिन्दु सं० 14 के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा Additional information detail में "Detail of Forest area and Non-forest Area" के नाम से ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
15	Out of 32.553 ha area, 7.92 ha area is selected for muck dumping. State Government is requested to explore non forest land for the prupose as the proposal is for widening and carry out muck is not a difficult task.	बिन्दु सं० 15 कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा 7.92 है० सिविलि क्षेत्र में मक डिस्पोजल योजना को पूर्व में ही पार्ट-1 के Additional information detail में ऑन लाईन अपलोड किया गया है।
16	Cost benefit ration analysis uploaded at para G is not in the latest format. State Government is requested to submit the Cost benefit ratio analysis in the latest format quantifying each parameter.	बिन्दु सं० 16 के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा Cost benefit ration analysis को नये प्रारूप में पार्ट-1 के पैरा G में ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-6)
17	Area mentioned in FRA of DM is 33 ha instead of 32.553 ha. State Government is requested to submit the FRA for the area proposed for diversion i.e. 32.553 hectare. However, the same may be submitted prior to Stage-II approval.	बिन्दु सं० 17 के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्ति का निराकरण स्टेज-11 से पूर्व ही कर दिया जायेगा।

18	Name of many villages mentioned in the Village Level committee (VLC) meeting proceedings are not found provided at para B 2.3 also VLC meeting proceedings of many villages names of which is mentioned in para B. 2.3 are not found. State Government may submit the clarification in this regard and provide the correct information.	बिन्दु संख्या 18 में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत करया गया है कि पार्ट-1 के पैरा B के 2.3 में वह ग्राम दर्शाये गये हैं जिनमें वन भूमि अधिग्रहण हो रही है। साथ ही यह स्पष्ट करना है कि 01 राजस्व ग्राम 03 से 04 गांव को मिलकर बनाया जाता है जिसके कारण पैरा B 2.3 तथा VLC में भिन्नता आई है। VLC से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज पार्ट 1 के पैरा K के (a) में तथा Additional Information details में भी ऑन लाईन अपलोड भी किये गये हैं।
19	Details of saplings are not included in the tree enumeration list. State Government is required to provide the tree enumeration list along with the details of the saplings proposed to be affected in the proposal.	बिन्दु संख्या-19 के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उच्च स्तर प्राप्त नई SOP में प्रपत्र संख्या 15, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6 एवं 16 में 0-10 का कॉलम किसी भी प्रपत्र में नहीं जोड़ा गया है। जिसके कारण संयुक्त निरीक्षण के समय 0-10 व्यास वर्ग के पौधों की गणना नहीं की गई
20	Tree enumeration list uploaded in additional document is not in proper format and the same is not opening. State Government is requested to upload the tree enumeration list in the proper format.	बिन्दु सं0-20 के कम में अवगत करना है कि वृक्षों की सूची पुनः ऑन लाईन अपलोड कर इस वन प्रभाग द्वारा पार्ट-11 के Additional information details में Tree details के नाम से अपलोड कर दिया गया है।
21	NPV is calculated at old rates. State Government is requested to submit/ upload NPV calculation sheet as per the new rates.	इस वन प्रभाग द्वारा एन0पी0वी0 का आंकलन नई दरों के अनुसार पार्ट-11 के Additional information details में ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक 7)
22	A copy of blank bar chart signed by Executive Engineer, Assistant Engineer and RFO found uploaded. State Government is required to submit the clarification in this regard and provide the complete and correct information.	प्रस्तावक विभाग द्वारा बार चार्ट में पूर्व में ही हस्ताक्षर कर पार्ट-1 में Additional information detail में Bar Chart के नाम से ऑन लाईन अपलोड किया गया है।
23	In place of administrative approval gazette notification of 2004 found uploaded. Further, the name of the concerned proposal also not mentioned in the document. A copy of the administrative approval for this proposal is required to be uploaded as additional information document.	प्रस्तावक विभाग द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुमोदन की प्रति पार्ट-1 के Additional information detail में Financial Sanction के नाम से ऑन लाईन अपलोड की गई है।
24	It is seen that the Geologist report is submitted by the consultant geologist. It is suggested that the report be got prepared by some professional institution since the submitted report vaguely raises certain points which are not completely answered.	बिन्दु संख्या-24 के कम में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा भू-वैज्ञानिक आख्या भू-वैज्ञानिक द्वारा ही तैयार की गई है जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा पार्ट-1 के Additional information detail में Geologist report के नाम से ऑन लाईन अपलोड किया गया है।
25	It has been mentioned in the geologist report that slope in 8 km length is very steep. State Government is requested to furnish detailed plan in the area for slope stabilization and muck dumping.	बिन्दु संख्या-25 के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट में दिये गये सुझाव के अनुसार slope stabilization and muck dumping के प्रयाप्त प्राविधान की व्यवस्था डी0पी0आर0 में की गई है।
26	A patch of 9 km was advised to be avoided in Geologist report. State Government is requested to clarify that whether the same is proposed in proposal in spite of geologist suggestion or has been change in form of bypass.	बिन्दु संख्या-26 के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट के अनुसार 9.00 किमी0 का पैच बुवाखाल से पौड़ी का है जिसमें कि सुदृढीकरण का कार्य किया जाना है। क्योंकि इस पैच में सघन वनस्पति एवं घनी आबादी है जिसके कारण इस पैच में कटिंग का कार्य प्रस्तावित नहीं किया गया है।
27	Total forest area diverted in Pauri division is mentioned as 813 ha which seems incorrect. Further, as per the information provided in the District Profile (in online Part II para 14), CA stipulated not commensurate to the forest land diverted. State Government is requested to fill	बिन्दु सं0 27 कम में अवगत करना है कि इस वन प्रभाग द्वारा District Profile को ऑन लाईन भाग-11 के पैरा 14 में संशोधित कर ऑन लाईन अपलोड की गई है तथा Additional Information details में भी District Profile के नाम से भी ऑन लाईन अपलोड किया गया है।

	the correct data at para 14.	
28	Number of Banj trees mentioned in DFO's recommendation are 199, in CF's SIR are 200 moreover in joint inspection report it is mentioned as 206 trees. State Government is required to clarify this discrepancy and provide correct information/ document.	बिन्दु सं0 28 के कम में अवगत करना है कि प्रभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में बांज वृक्षों की संख्या 199 अंकित की गई है तथा पार्ट-111 में वन संरक्षक महोदय गढ़वाल वृत्त द्वारा 199 वृक्ष बांज के साथ 01 वृक्ष मणिपुरी बांज का भी सम्मिलित किया गया है जिसके कारण वृक्षों की गणना 200 से आ रही है। इसके अतिरिक्त विषयगत प्रकरण में नापखेत में भी 05 वृक्ष बांज के प्रभावित हो रहे हैं जिन्हें ऑन लाईन पार्ट-11 में गणना नहीं लिया गया है।
29	Details of the 16 muck dumping area with their location, area, carrying capacity not enclosed with the muck disposal plan. State Government may submit/ upload the map showing location of all 16 selected muck dumping sites their carrying capacity and area detail.	बिन्दु संख्या-29 के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पार्ट-1 में submit/ upload the map showing location of all 16 selected muck dumping sites their carrying capacity and area detail पार्ट-1 के Additional information detail में Muck disposal plan along with Toposheet Geo Map and Google earth or Village map के नाम से ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
30	Reclamation plan of 16 muck dumping sites proposed in forest area is not found submitted, which is required to be furnished.	बिन्दु संख्या-30 के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन क्षेत्र में प्रस्तावित 16 मक डिस्पोजल की योजना पार्ट-1 के Additional information detail में Reclamation plan Query no 30 के नाम से ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
31	A detailed plan on muck dumping is also required to be submitted as the same is highlighted again and again in the geologist report. State Government may submit/ upload the complete muck disposal plan including the details like quantity of muck likely to be generated including swell factor, quantity of muck likely to be utilized and the balance quantity to be disposed of at identified muck disposal sites duly approved by the DFO.	बिन्दु सं0-31 के कम में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा मलवा निस्तारण योजना एवं अन्य दस्तावेज में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर ऑन लाईन पार्ट-1 के Additional Information Details के क्रमांक 42 में ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।

अतः प्रस्ताव अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।
संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(मुकेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।